मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013-वैशाख 27, शके 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

कार्यालय उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 अप्रैल, 2013

शुद्धि-पत्र

[मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा-50 की उपधारा (3) के अधीन नगर विकास योजना के प्रारूप के प्रकाशन का शुद्धि-पत्र]

क्र. 62/13.—योजना क्रमांक पी-20/11 ग्राम सांवराखेडी एवं कस्बा उज्जैन की विज्ञप्ति क्रमांक 170/12, दिनांक 02 नवम्बर, 2012 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1) पृष्ठ क्रमांक 1226, दिनांक 16 नवम्बर, 2012 में प्रकाशित की गई है, में उल्लेखित ग्रामों के सर्वे नम्बरान की भूमि के साथ निम्न सर्वे नम्बरान की भूमि भी योजनान्तर्गत सम्मिलित है:—

ग्राम सांवराखेडी सर्वे क्रमांक 48, 75 में से, 78 में से, 145, 146 कस्बा उज्जैन सर्वे क्रमांक 3309 में से, 3320 में से, 3323 में से.

उक्त योजना की प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है.—

1. उज्जैन विकास प्राधिकरण, उज्जैन.
2. उप-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, उज्जैन.
3. आयुक्त, उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन.

उपरोक्त सर्वे नम्बरान की भूमि के संबंध में किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो नगर विकास योजना के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने के तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, विचार किया जावेगा.

Ujjain, Dated 27th April, 2013

CORRIGENDUM

[Corrigendum of draft Town Development Scheme published under section 50 (3) of Town and Country Planning Act, 1973]

No.-62/13.—The following Corrigendum is issued to notification No. 170/12, Dated 02nd November, 2012 of Scheme No. P-20/11 Gram Sawrakhedi & Kasba Ujjain, published in Madhya Pradesh Rajpatra, Part 3 (1) on page 1227, dated 16th November, 2012.

The Land bearing following survey number is also included under the above scheme:—

Gram Sawrakhedi Survey Numbers :-48, 75 part, 78 part,145, 146.

Kasba Ujjain Survey Numbers:-3309 part, 3320 part, 3323 part.

A copy of draft Scheme is available for inspection during office hrs in office of.—

1. Ujjain Vikas Pradhikara, Ujjain.
2. Deputy Director, Town And Country Planning, Ujjain.
3. Commissioner, Ujjain Municipal Corporation, Ujjain.

Any objection or suggestion regarding the land of above survey nos. with respect to draft Town Development Scheme received in writing in the office of the undersigned from any person affected thereby,within 30 days of the publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette will be considered.

Shivendra Singh,
Chief Executive Officer.

(57-A-B.)

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, शैफाली चौहान पिता अशोक कुमार चौहान ने विवाह उपरान्त नाम परिवर्तन कर सहेज कौर अरोरा पति राजदीप सिंह अरोरा कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(शैफाली चौहान)

नया नाम :

(सहेज कौर अरोरा)

फ्लेट नं. 102, संदीप हेरीटेज,
32-A, वीर सावरकर नगर, इन्दौर (म. प्र.).

(67-बी.)

CHANGE OF NAME

I, declare that my old Name Bhojraj Add.-85, Triveni Colony Ext. Indore (M.P.). I have changed my new name now known and called as Mahendra Kumar Wadhwani in all records.

Old Name :

(BHOJRAJ)

New Name :

(MAHENDRA KUMAR WADHWANI)

85, Triveni Colony Ext., Indore (M.P.).

(68-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को यह सूचित किया जाता है कि मैं, दिलीप कुमार आत्मज श्री दशरथ प्रसाद कोरी एवं दिलीप कुमार कोरी एक ही व्यक्ति हूँ. अत: भविष्य में मुझे दिलीप कुमार कोरी आत्मज श्री दशरथ प्रसाद कोरी के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(दिलीप कुमार)
आत्मज दशरथ प्रसाद कोरी.

नया नाम :

(दिलीप कुमार कोरी)
आत्मज दशरथ प्रसाद कोरी,
पता—कृषि कॉलोनी, गुरूद्वारा के सामने,
महोबा रोड, छतरपुर (म. प्र.).

(54-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, कु. अन्ना गुण्डिया, वनरक्षक ने विवाह के पश्चात् अपना उपनाम गुण्डिया से बदलकर भंवर कर लिया है. उपनाम को बदलने के लिये विधिवत् न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है.

पुराना नाम :

(अन्ना गुण्डिया)
वनरक्षक.

नया नाम :

(अन्ना भंवर)
वनरक्षक.

(53-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रतन कुमार वर्मा पिता श्री रामखेलावन वर्मा उम्र 43 निवासी 1624/10, रीवा कॉलोनी, रामपुर,जबलपुर यह शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं भृत्य के पद पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (बैंक एवं अर्थ प्रबंध) म. प्र. पावर मैनेजमेन्ट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में कार्यरत हूँ. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक एवं शासकीय रिकॉर्ड में मेरा नाम रतन कुमार वर्मा लिखा है. चूंकि काछी/वर्मा मेरी जाती है और कुशवाहा मेरा सरनेम उपजाति है. मैं अपने नाम के साथ जाति के स्थान पर सरनेम याने रतन कुमार कुशवाहा लिखना चाहता हूँ. भविष्य में मेरा नाम रतन कुमार वर्मा के स्थान पर रतन कुमार कुशवाहा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(रतन कुमार वर्मा)

नया नाम :

(रतन कुमार कुशवाहा)

(52-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पूनाराम आत्मज स्व. श्री बालकराम म. प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में भृत्य के पद पर कार्यरत हूँ. निवासी 427, रामनगर, रामपुर, जबलपुर अब तक पूनाराम के नाम से जाना जाता था. मैंने अपना उपनाम परिवर्तित किया है तथा अब मुझे पूनाराम शिवेदी आत्मज स्व. बालकराम के नाम से जाना एवं लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(पूनाराम)

नया नाम :

(पूनाराम शिवेदी)

(51-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम अनुसुया उर्फ अनुराधा वैद्य (ANUSUYA ALIAS ANURADHA VAIDYA) था जिसे अब मैंने बदलकर अनुराधा वैद्य कर लिया है. अत: अब मुझे मेरे नये नाम अनुराधा वैद्य से लिखा-पढ़ा जावे.

Old Name :

(अनुसुया उर्फ अनुराधा वैद्य)
(ANUSUYA ALIAS ANURADHA VAIDYA)

New Name :

(अनुराधा वैद्य)
(ANURADHA VAIDYA)
56, Ravindra Nagar, Ujjain (M. P.).

(59-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम हलीमा बानो था और अब मैंने अपना नाम बदलकर हलीमा सादिया कर लिया है. अत: आम को सूचित किया जाता है कि भविष्य में मुझे इसी नए नाम हलीमा सादिया के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हलीमा बानो)

नया नाम :

(हलीमा सादिया)
पता-गाड़ीवान मौहल्ला, मोती मस्जिद,
करैरा, जिला शिवपुरी (म. प्र.).

(66-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स हरी प्रसाद अग्रवाल 102, राजकमल अपार्टमेन्ट पटेल नगर सिटी सेंटर, ग्वालियर, म. प्र. दिनांक 09-03-2010 जो निम्न साझेदारों श्री 1. लख्मीचंद ठक्कर, 2. सूरज प्रसाद राय, 3. दिनेश गुप्ता, 4. हरी प्रसाद अग्रवाल, 5. राजेन्द्र राय. 6. राजेश कुमार राय के बीच बनायी गयी थी तथा जो कि इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट की धारा 58 (1) के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ग्वालियर के अन्तर्गत पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00049/10, दिनांक 24-5-2010 को रजिस्टर्ड करायी गयी थी. उक्त फर्म सभी साझेदारों की आपसी सहमति से सुचारू रूप से अपना व्यवसाय कर रही थी. लेकिन अब फर्म के सभी साझेदार अपनी स्वेच्छा तथा आपसी सहमति से दिनांक 31-3-2013 को अपनी उपरोक्त वर्णित साझेदारी फर्म मैसर्स हरी प्रसाद अग्रवाल को समाप्त (भंग) कर रहे हैं. यह सूचना फर्म के सभी साझेदार की स्वीकृति से प्रकाशित की जा रही है.

प्रेषक,
राजू शर्मा,
एडवोकेट
बी-8, द्वितीय तल, साँई अपार्टमेन्ट,
जयेन्द्रगंज, ग्वालियर.

(57-बी.)

सूचना

सूचित किया जाता है कि मे. राधिका इंजीनियरिंग कंपनी, 1499 चौथी गली, बाई का बगीचा, घमापुर, जबलपुर (म. प्र.) का नया पता मे. राधिका इंजीनियरिंग कंपनी, एस. पी. बंगले के पीछे, बारापत्थर, सिवनी (म. प्र.) हो गया है. अत: अनुरोध है कि भविष्य में कोई भी पत्राचार नये पते पर ही किया जाये. पुराने पते पर कोई भी पत्राचार करने पर कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी.

निवेदक,
प्रदीप खरे,
पार्टनर.
मे. राधिका इंजीनियरिंग कंपनी,

(60-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जय माता पैकेजिंग, गुरू विहार, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर में भागीदार श्री प्रताप कुकरेजा पुत्र श्री कन्हैयालाल कुकरेजा, निवासी कृष्ण विहार, बाला बाई का बाग, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर का स्वर्गवास दिनांक 30 अक्टूबर, 2004 को हो गया था. उनके स्थान फर्म में नवीन भागीदार के रूप में उनकी पत्नी श्रीमती नीलम कुकरेजा पत्नी स्व. श्री प्रताप कुकरेजा निवासी कृष्ण विहार, बाला बाई का बाग, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर दिनांक 3 नवम्बर, 2004 को सम्मिलित हो गई हैं. सर्व-साधारण एवं आमजन सूचित हों.

सुशील सुरैना,
फर्म-मैसर्स जय माता पैकेजिंग,
गुरू विहार, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर.

(69-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स संकेत ओपन एम. आर. आई. सेन्टर, 195, जोन-1, एम. पी. नगर भोपाल, मध्यप्रदेश की संरचना में परिवर्तन हुआ है. पूर्व में फर्म में 1. डॉ. समीर पुसलकर तथा 2. डॉ. राजीव मिश्रा भागीदार थे. इनमें से डॉ. समीर पुसलकर ने दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को फर्म में अपनी भागीदारी से त्याग-पत्र दे दिया है और अब फर्म के एक मात्र प्रोपराईटर डॉ. राजीव मिश्रा हैं.

भवदीय

राजीव मिश्रा,

मै. संकेत ओपन एम. आर. आई. सेन्टर, 195,

जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश.

(56-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **"M/s NAHAR ENTERPRISES"** of Bhopal **Vide Reg. No. 1041/1972-73 dated 30-09-1972** undergone the following changes:—

1. That Smt. Sarla Nahar W/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar, Shri Rajendra Nahar S/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar, Shri Sanjay Nahar S/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar has joined the firm w.e.f. 14-7-1982.
2. That Shri Ajay Nahar S/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 14-7-1982.
3. That Shri Ajay Nahar S/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar has joined the firm w.e.f. 27-10-1989.
4. That Smt. Sarla Nahar W/o Lt. Shri Maniklal Ji Nahar has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 27-10-1989.
5. That Smt. Shanta Nahar W/o Shri Rajendra Nahar has joined the firm w.e.f. 1-9-2007.
6. That Shri Vijay Nahar, Shri Ajay Nahar and Shri Sanjay Nahar has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 1-9-2007.
7. That Shri Nitin Nahar S/o Shri Rajendra Nahar has joined the firm w.e.f. 1-1-2012.
8. That Smt. Shanta Nahar W/o Shri Rajendra Nahar has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 1-1-2012.

Rajendra Nahar,
Partner,
M/s NAHAR ENTERPRISES
R-7, S. B. I. Colony, Zone-II,
M. P. Nagar, Bhopal.

(61-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **"M/s REVA MEDICAL AGENCIES"** of Bhopal **Vide Reg. No. 01/01/01/00232/11 dated 2011-2012 Date of Registration 2 September, 2011** undergone the following changes:—

1. That Shri Ashish Singhai S/o Late Shri N.K. Singhai has joined from the Partnership firm w.e.f. 01-4-2012.
2. That **"M/s REVA MEDICAL AGENCIES"** shall be continue to carry on the business of partnership from G-4, Vardhman City Plaza, Dawa Bazar, Hamidia Road, Bhopal-462001 firm w.e.f. 1-4-2012.

For-Sunil Kumar Gupta,
Partner,
M/s REVA MEDICAL AGENCIES
G-4, Vardhman City Plaza, Dawa Bazar,
Hamidia Road, Bhopal-462001.

(62-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **"M/s KAPOORA CONSTRUCTION"** of Bhopal **Vide Reg. No. 01/01/01/00013/05 dated 2005-2006 Date of Registration 12-4-2005** undergone the following changes:—

1. That Shri Rishi Kant Shukla S/o Shri O. P. Shukla and Smt. Jyoti Shukla W/o Shri S. K. Shukla has joined from the Partnership firm w.e.f. 01-4-2009.
2. That Shri Avdhesh Prasad Shukla S/o Shri Krishnadatta Shukla has also desire to retire form the Partnership firm w.e.f. 01-4-2009.
3. That **"M/s KAPOORA CONSTRUCTION"** shall continue to carry on the business of partnership from Plot No. 246, Flat No. 1, Chaya Apartment, C-Sector, Indrapuri, Bhopal firm w.e.f. 1-4-2009.

Shiva Kant Shukla,
Partner,
M/s KAPOORA CONSTRUCTION
Plot No. 246, Flat No. 1, Chaya Apartment,
C-Sector, Indrapuri, Bhopal.

(63-B.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firm **"M/s PRANJAL CONSTRUCTION"** of Bhopal **Vide Reg. No. 01/01/01/00204/2004-05 dated 21-2-2005** undergone the following changes:—

1. That Shri Rajesh Saxena S/o Shri K. P. Varma & Shri Girjesh Saxena S/o Shri K.P. Varma has joined the Partnership firm w.e.f. 01-4-2006.
2. That Shri R. M. Ayodhyawasi S/o Shri J. L. Ayodhyawasi is also desire to retire form the Partnership firm w.e.f. 01-4-2006.
3. That Shri Mukesh Rai S/o Shri M. L. Rai, Shri Ashish Malviya S/o R. K. Malviya & Shri Pradeep Kumar Dubey S/o Shri G. P. Dubey has joined the partnership firm w.e.f. 1-4-2009.
4. That Shri Rajesh Saxena S/o Shri K. P. Varma, Shri Girjesh Saxena S/o Shri K.P. Varma & Shri Suresh Saxena, Shri K. P. Varma has also desire to retire from the Partnership firm w.e.f. 01-4-2009.

Rakesh Saxena,
Partner,
M/s PRANJAL CONSTRUCTION
106, Bright Colony, Idgah Hills, Bhopal.

(64-B.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 26 अप्रैल, 2013

क्रमांक 306/10 परीक्षा/पट.प्रशि./2013.—राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर एवं उमरिया तथा पटवारी प्रशिक्षण शालाऐं मुरैना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा के प्रशिक्षणार्थियों की माह मई-जून वर्ष 2013 में नियमित एवं अनियमित

उम्मीदवारों की परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र—राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर, उमरिया तथा पटवारी प्रशिक्षण शाला मुरैना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा का कार्यक्रम सर्व-साधारण की जानकारी के लिये निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है:—

स. क्र.	दिनांक	परीक्षा का दिन	विषय	परीक्षा का समय
1	2	3	4	5
1.	20-05-2013	सोमवार	म. प्र. भू-राजस्व संहिता	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
2.	21-05-2013	मंगलवार	म. प्र. भू. अभिलेख नियमावली	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
3.	22-05-2013	बुधवार	तरतीब कागजात	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
4.	23-05-2013	गुरूवार	कम्प्यूटर सैद्धान्तिक	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
5.	24-05-2013	शुक्रवार	सर्वे सैद्धान्तिक	प्रात: 9.00 बजे से 12.00 तक
6.	27-05-2013	सोमवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	28-05-2013	मंगलवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	29-05-2013	बुधवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
	30-05-2013	गुरूवार	कम्प्यूटर व्यवहारिक	प्रात: 9.00 बजे से समूह में आयोजित, प्रत्येक समूह के लिए 1.00 घण्टा परीक्षा समाप्त होने तक निरन्तर.
7.	31-05-2013	शुक्रवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	01-06-2013	शनिवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	03-06-2013	सोमवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	04-06-2013	मंगलवार	सर्वे/फील्ड बुक	प्रात: 9.00 बजे से (परीक्षा की अवधि 1.00 घण्टा) परीक्षा समूह में ली जावेगी.
	05-06-2013	बुधवार	सर्वे/प्लाटिंग करना	प्रात: 9.00 बजे से 10.30 तक 1.30 घण्टा होगी. (दिनांक 15-03-2010, 16-03-2010 एवं 17-03-2010 को दी गयी परीक्षा की).

टीप:—

1. सर्वे भू-मापन/कम्प्यूटर व्यवहारिक की परीक्षा में प्रत्येक परीक्षार्थी को 1.00 घण्टा एवं सर्वे प्लाटिंग के लिए 1.30 घण्टा समय निर्धारित है.
2. इस परीक्षा में बैठने के लिए अनियमित उम्मीदवार इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर/उमरिया के प्राचार्य तथा पटवारी प्रशिक्षण शाला मुरैना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा से प्राप्त करें.
3. आवेदन-पत्र का प्रदाय राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर, उमरिया तथा पटवारी प्रशिक्षण शाला मुरैना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा अथवा जिले के अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय से किया जायेगा.
4. प्रशिक्षणार्थी दिनांक 02-05-2013 तक अपने आवेदन-पत्र संबंधित प्रशिक्षण शाला में जमा करें.

5. पटवारी वार्षिक परीक्षा प्रथम सत्र वर्ष 2013 हेतु नियमित/अनियमित समस्त उम्मीदवारों के लिए परीक्षा केन्द्र, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला, इन्दौर, उमरिया एवं पटवारी प्रशिक्षण शाला मुरैना, सागर, उज्जैन, खरगौन, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, बालाघाट एवं रीवा निर्धारित किया गया है. अनियमित उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र जिलाध्यक्ष भू-अभिलेख कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करें. मुख्यालय ग्वालियर में सीधे प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा.

राजीव रंजन,

(248) आयुक्त.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, होशंगाबाद

प्र. क्र. 3/बी-113 (1)/2012-13.

फॉर्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1963 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

आवेदक ''भीकमचंद जैन, सद्भावना ट्रस्ट'' द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''भीकमचंद जैन, सद्भावना ट्रस्ट''.
पता	:	जीजीविसा बिल्डिंग, प्रथम तल, चौधरी कम्पाउण्ड, कोठी बाजार, होशंगाबाद.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 28 मार्च, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया.

राजेश शाही,

(249) अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय पंजीयक जन न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, करैरा, जिला शिवपुरी

दिनांक 26 अप्रैल, 2013

प्र. क्र. 01/2012-13/बी-113.

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के अन्तर्गत तथा धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

क्योंकि मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाये सम्पत्ति को जन न्यास के रूप में पंजीयन किया जाना है. अत: सूचना दी जाती है कि इस प्रकार की सुनवाई मेरे द्वारा दिनांक 11 जून, 2013 को मेरे न्यायालय में की जावेगी.

इस न्यास अथवा सम्पत्ति में रुचि रखने वाले कोई आपत्ति अथवा मौखिक प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस सूचना-पत्रों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखितरूप में दे सकते हैं तथा मेरे समक्ष उपरोक्त तिथि को स्वयं अथवा अभि. के द्वारा उपस्थित हो सकते हैं. इस अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. ट्रस्ट का नाम : श्री सिराजुम मुनीर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट पब्लिक ट्रस्ट, नरवर.

चल सम्पत्ति का विवरण —	कीमत आदि
1. सिराजुम मुनीर एजुकेशन एण्ड वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट पर सम्पत्ति आदि.	नहीं
उपयोगत बर्तन आदि एवं घण्टे मुकुट इत्यादि लगभग आदि.	नगद राशि रुपये 21,000/- है.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण आदि	
ट्रस्ट से लगी हुई दुकानें आदि सम्पत्ति का विवरण	नहीं है.

उपरोक्त सम्पत्ति नहीं है. केवल नगद राशि 21,000 रुपये है.

ए. के. चॉदिल,
अनुविभागीय अधिकारी.

(262)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बैतूल (उत्पादन) वनमण्डल, बैतूल

पठनीय :—

1. परिक्षेत्र अधिकारी, मुलताई (उत्पादन) का पत्र क्रतांक/175, दिनांक 27 जून, 2012
2. वनमण्डल कार्यालय (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/887, दिनांक 3 जुलाई, 2012
3. वनमण्डल कार्यालय (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/6581, दिनांक 3 जुलाई, 2012
4. वनमण्डल कार्यालय (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/6579, दिनांक 3 जुलाई, 2012
5. उपवनमण्डलाधिकारी मुलताई (उत्पादन) का पत्र क्रमांक/270, दिनांक 7 जुलाई, 2012
6. परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई (उत्पादन) का पत्र क्रमांक/184, दिनांक 10 जुलाई, 2012
7. वनमण्डल (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/6939, दिनांक 16 जुलाई, 2012
8. वनमण्डल (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/7049, 7051, 7053, 7055, दिनांक 18 जुलाई, 2012
9. वनमण्डल (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/7287, 7289, 7291, 7293, दिनांक 06 अगस्त, 2012
10. वनमण्डल (उत्पादन) बैतूल का पत्र क्रमांक/स्टोर/9402, 9405, 9407, 9409, दिनांक 03 नवम्बर, 2012

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण—

मुलताई परिक्षेत्र (उत्पादन) के काष्ठ कूप क्रमांक VI मेढ़ा छिन्दवाड़ के कूप प्रभारी श्री दीपक मढ़के, वनरक्षक द्वारा परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई एवं थाना प्रभारी मुलताई को दिनांक 24 जून, 2012 को कूप क्रमांक VI मेढ़ा छिन्दवाड़ का हेमर क्रमांक 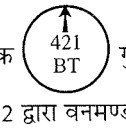

गुम होने की सूचना दी गई. तारतम्य में वन परिक्षेत्र अधिकारी, मुलताई (उत्पादन) द्वारा उनके पत्र क्रमांक/175, दिनांक 27 जून, 2012 द्वारा वनमण्डल कार्यालय को सूचना दी गई की, श्री दीपक मढ़के, वनरक्षक द्वारा वर्ष 2011-2012 के काष्ठ कूप क्रमांक VI मेढ़ा छिन्दवाड़ का विदोहन हेमर क्रमांक

दिनांक 23 जून, 2012 को गुमा दिया गया है. उक्त सूचना के आधार पर वनमण्डल कार्यालय के पत्र क्रमांक/887, दिनांक 3 जुलाई, 2012 द्वारा हेमर क्रमांक 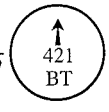

गुम होने की सूचना जारी की गई एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6581, दिनांक 3 जुलाई, 2012 द्वारा दीपक मढ़के वनरक्षक को कार्य

में लापरवाही बरतने हेतु निलंबन करने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया एवं अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों में प्रस्तुत करने हेतु लेख गया तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/6579, दिनांक 3 जुलाई, 2012 द्वारा उपवनमण्डलाधिकारी, तासी को उक्त हेमर गुम होने की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन तीन दिनों में प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया.

तदानुसार उपवनमण्डलाधिकारी ताप्ती (उत्पादन) ने उनके पत्र क्रमांक/270 दिनांक 07 जुलाई, 2012 द्वारा वनमण्डल कार्यालय को सूचना दी कि परिक्षेत्र मुलताई के कूप क्रमांकVI मेढ़ा छिन्दवाड़ का हेमर क्रमांक 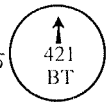

गुम नहीं हुआ है. अपितु उक्त कूप का हेमर क्रमांक 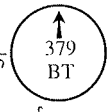

गुम हुआ है. उपवनमण्डलाधिकारी ताप्ती से प्राप्त संशोधित सूचना के आधार पर पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/6939, दिनांक 16 जुलाई, 2012 द्वारा हेमर क्रमांक 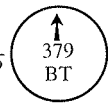

गुम होने की संशोधित सूचना जारी की गई एवं हेमर गुमने की त्रुटिपूर्ण सूचना देने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/7053, दिनांक 18 जुलाई, 2012 द्वारा श्री के. सी. परसाई, परिक्षेत्र अधिकारी, मुलताई को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया तथा कार्यालयीन पत्र क्रमांक/7051, दिनांक 18 जुलाई, 2012 द्वारा श्री गुलाबराव डोगर, सहायक ग्रेड III परिक्षेत्र लिपिक मुलताई को हेमर गुमने की त्रुटिपूर्ण सूचना देने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया एवं शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने हेतु एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित किया जाना प्रस्तावित किया गया. संशोधित सूचना के आधार पर पुनः कार्यालयीन पत्र क्रमांक/7049, दिनांक 18 जुलाई, 2012 द्वारा श्री दीपक मढ़के, वनरक्षक को हेमर गुमाने एवं शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने हेतु एक वेतन वृद्धि संचयी रूप से रोधित करने हेतु पुनः सूचना-पत्र जारी किया गया. उल्लेखनीय है कि परिक्षेत्र अधिकारी मुलताई ने उनके पत्र क्रमांक/184, दिनांक 10 जुलाई, 2012 द्वारा लेख किया गया कि कूप क्रमांक VI मेढ़ा छिन्दवाड़ का हेमर गुमने की त्रुटिपूर्ण सूचना परिक्षेत्र लिपिक द्वारा गुम हुये हेमर का हेमर पंजी से मिलान न करने की लापरवाही बरतने के कारण से हुई है.

ऊपर दर्शित अनुक्रमांक 8, 9 एवं 10 पर अंकित अनुसार कार्यालयीन स्मरण-पत्रों द्वारा संबंधितों को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु एवं उपवनमण्डलाधिकारी ताप्ती (उत्पादन) को हेमर गुम होने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है. परन्तु लगभग 10 माह से अधिक की अवधि व्यतीत उपरान्त भी श्री दीपक मढ़के, वनरक्षक, श्री गुलाबराव डोगरे सहायक ग्रेड-III परिक्षेत्र लिपिक मुलताई द्वारा अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया है एवं उपवनमण्डलाधिकारी तासी द्वारा भी हेमर गुमने की वस्तुस्थिति बाबत् कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है.

उल्लेखनीय है कि संबंधितों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं लगभग 10 माह की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी दोषियों द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर प्रस्तुत नहीं करने के कारण एवं हेमर खोजने के सभी प्रयास असफल होने के कारण आवश्यक हो गया है कि उक्त हेमर को अपलेखित किया जावे.

अतः उक्त हेमर न मिलने की स्थिति में मैं ए. के. जोशी (भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी (उत्पादन) वनमण्डल बैतूल यह आदेश देता हूं कि—

कूप प्रभारी VI मेढ़ा छिन्दवाड़ हेमर की आकृति 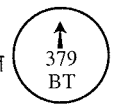

आदेश

आदेश क्र./स्टोर/2013/01 बैतूल, दिनांक 06 अप्रैल, 2013

वन वित्तीय नियम की धारा-124 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त हेमर क्रमांक 379 बीटी को भण्डार एवं अभिलेखों से अपलेखित किया जाता है तथा श्री दीपक मढ़के, कूप प्रभारी VI मेढ़ा छिन्दवाड़ से उक्त हेमर का मूल्य 250/- रुपये एक मुश्त वसूली करने एवं शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने हेतु उनकी आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोधित करने हेतु आदेशित किया जाता है.

हेमर गुमने की त्रुटिपूर्ण सूचना लापरवाही पूर्ण तरीके से वनमण्डल कार्यालय को देने हेतु दोषी श्री गुलाबराव डोगरे, सहायक ग्रेड-III परिक्षेत्र लिपिक मुलताई (उत्पादन) को चारित्रिक चेतावनी देते हुये भविष्य के लिये सचेत किया जाता है.

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को निम्नांकित आकृति 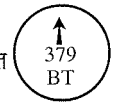

का हेमर मिले तो उस हेमर को निकटतम पुलिस थाने या किसी वन विभाग कार्यालय में जमा करें.

इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा निम्नांकित आकृति 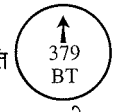

के हेमर को अनाधिकृत रूप से रखने या प्रयोग में लाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के प्रावधानों के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा.

ए. के. जोशी,
वनमण्डलाधिकारी.

(250)

कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मटेवा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 358, दिनांक 24 दिसम्बर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2001/2268, शाजापुर, दिनांक 07 जुलाई, 2001 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खरदोनकलॉ, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 01 नवम्बर, 1983 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/1708, शाजापुर, दिनांक 31 जुलाई, 2007 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवला बिहार, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 09 दिसम्बर, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/983, शाजापुर, दिनांक 27 सितम्बर, 1991 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धतुरिया, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 29 मार्च, 1988 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2011/979, शाजापुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2011 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था. परिसमापक से प्राप्त अन्तिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेना-देना शेष नहीं रहा है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूं. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 से निगमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-C)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेलगाँव, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 16 मई, 1988 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1405, शाजापुर, दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 24 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेलगाँव, तहसील नलखेडा, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 488, दिनांक 16 माई, 1988 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनोज पुरोहित, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-D)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरखी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 272, दिनांक 17 जनवरी, 1984 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1402, शाजापुर दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 24 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जरखी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 272, दिनांक 17 जनवरी, 1984 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-E)

मायनारिटीज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 22 जून, 1995 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1375, शाजापुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 21 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मायनारिटीज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., शाजापुर, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 644, दिनांक 22 जून, 1995 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-F)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्या, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1374, शाजापुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 21 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कमल्या, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 889, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-G)

तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 14 सितम्बर,1987 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1376, शाजापुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों

से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:-

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 21 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुलाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 425, दिनांक 14 सितम्बर,1987 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. के. खटीक, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-H)

सुयश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 06 जनवरी, 2003 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1378, शाजापुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 21 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुयश मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., खडी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 06 जनवरी, 2003 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-I)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढिया, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 21 अक्टूबर, 1985 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1404, शाजापुर दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत किये गये हैं:—

1. संस्था का गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.

2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 24 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कढिया, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 326, दिनांक 21 अक्टूबर, 1985 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-J)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोगीपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 18 जुलाई, 2005 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1379, शाजापुर दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की गई है:—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 21 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भोगीपुर, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 18 जुलाई, 2005 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-K)

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002 संस्था अकार्यशील होने के कारण संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1406, शाजापुर दिनांक 29 दिसम्बर, 2012 जारी किया गया था क्यों न संस्था को सूचना-पत्र में दर्शाये कारणों से परिसमापन में लाया जाये. कारण बताओ सूचना-पत्र में निम्न बिन्दु नियत की गई है:—

1. संस्था गत दो वर्षों से अकार्यशील है तथा कार्यशील होने की कोई संभावना नहीं है.
2. संस्था द्वारा अपनी पंजीकृत उपविधियों में उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा रही है.

इस प्रकार संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी) का उल्लंघन किया है. संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र के माध्यम से नियत समयावधि में उत्तर प्रेषित करने हेतु लिखा गया था.

संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि 24 जनवरी, 2013 तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि संस्था को परिसमापन में लाये जाने में संस्था को कोई आपत्ति नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मनासा, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 813, दिनांक 28 मार्च, 2002 को आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री कमल कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आदेश प्राप्ति से तीन माह के भीतर आस्तियों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(251-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (4) के अन्तर्गत]

दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुल्लाखेडी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर, पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2227, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 में परिसमापन में लाया गया था. संस्था परिसमापक श्री आर. पी. बारोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 04 अगस्त, 2011 को संस्था के सदस्यों की विशेष साधारण सभा बुलाई गई, जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने एवं संस्था का कार्य व्यवसाय पुन: प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया.

परिसमापक श्री आर. पी. बारोलिया, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 01 अगस्त, 2012 में संस्था के सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखकर संस्था को पुनर्जीवित किये जाने की अनुशंसा की गयी है.

अत: मैं, आर. के. मालवीय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-1999/पन्द्रह/1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सदस्यों के व्यापक हित में दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., मुल्लाखेडी, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर पंजीयन क्रमांक-667, दिनांक 10 अक्टूबर, 1995 को निम्न शर्तों के साथ पुनर्जीवित किया जाता है

1. संस्था प्रस्तुत कार्य योजना अनुसार अपना कार्य व्यवसाय संस्था की उप विधि के अनुरूप करना सुनिश्चित करेगी एवं प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावेगी.
2. संस्था प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात दो माह के भीतर अंकेक्षण हेतु संस्था के वित्तीय पत्रक एवं अन्य अभिलेख कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करेगी.
3. संस्था की तदर्भ प्रबंधकारिणी समिति तीन माह के भीतर निर्वाचन कराये जाने हेतु विधिवत प्रस्ताव कार्यालय में प्रस्तुत करेगी.
4. नामांकित अवधि में संचालक मण्डल द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना अनुसार संचालन न करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी.
5. संस्था की पुरानी लाभ-हानि एवं समस्त देनदारी-लेनदारी के निराकरण की जिम्मेदारी संस्था की होगी.

संस्था की विशेष आमसभा में पारित प्रस्ताव अनुसार निम्नांकित कार्यकारिणी समिति नामांकित की जाती है, जो उपयुक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी :-

क्र.	नाम	पता	पद
1	2	3	4
1.	श्री मनान खाँ पिता अजीत खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शमीमबी, पिता शाहिद खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	उपाध्यक्ष
3.	श्री सत्तार खाँ, पिता मुंशी खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक
4.	श्री अकरम खाँ, पिता मुंशी खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	श्री बाबू खाँ, पिता तारू खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक
6.	श्री मेहबूब खाँ, पिता नामदार खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक
7.	श्री नगजीराम, पिता राजाराम	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक
8.	श्री रहीम खाँ, पिता सरदार खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक
9.	श्रीमती मेरुन बी, पति मुस्ताक खाँ	ग्राम मुल्लाखेडी	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 12 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

आर. के. मालवीय,
उप-पंजीयक.

(251-M)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/476.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर	497/09-09-1980
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पंथपिपलई	491/09-09-1980
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., हरसोदन	493/09-09-1980
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चंदेसरा	567/09-10-1981
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिंतामन जवासिया	576/24-06-1981
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नरवर	494/09-09-1980
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., करोहन	598/23-10-1982
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भेसौंदा	600/19-02-1983
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नलवा	620/03-12-1983
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा	635/19-12-1983
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., हमीरखेड़ी	637/19-12-1983
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया	718/15-10-1985
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया राघो	1035/19-09-1992
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ढाबला रेहवारी	574/24-10-1981

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य नहीं कर रही है. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था

के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ताजपुर	497/09-09-1980	श्री आर. एल. नागर, सहकारिता विस्तार, अधि. उज्जैन.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पंथपिपलई	491/09-09-1980	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., हरसोदन	493/09-09-1980	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चंदेसरा	567/09-10-1981	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चिंतामन जवासिया	576/24-06-1981	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नरवर	494/09-09-1980	-''-
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., करोहन	598/23-10-1982	-''-
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., भेसौंदा	600/19-02-1983	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नलवा	620/03-12-1983	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़ा	635/19-12-1983	-''-
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., हमीरखेड़ी	637/19-12-1983	-''-
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कचनारिया	718/15-10-1985	-''-
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया राघो	1035/19-09-1992	-''-
14.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ढाबला रेहवारी	574/24-10-1981	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(252)

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/477.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	566/11-05-1981
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घटिया	543/11-05-1981
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया	564/04-06-1982
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ी	615/22-06-1982
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जलवा	571/19-10-1981
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर	540/11-06-1981
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद	541/11-06-1981
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूई	703/13-05-1985
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार	568/11-05-1981
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा	575/24-10-1981
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	585/04-06-1982
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	542/11-05-1981

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षों से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य नहीं कर रही हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाएं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	566/11-05-1981	श्री एस. के. मालवीय सहकारिता विस्तार अधि. घटिया.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घटिया	543/11-05-1981	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., अम्बोदिया	564/04-06-1982	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बांसखेड़ी	615/22-06-1982	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जलवा	571/19-10-1981	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., नजरपुर	540/11-06-1981	-''-
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बिछड़ोद	541/11-06-1981	-''-
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., रूई	703/13-05-1985	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., पानबिहार	568/11-05-1981	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., तुलाहेड़ा	575/24-10-1981	-''-
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	585/04-06-1982	-''-
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	542/11-05-1981	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(252-A)

उज्जैन, दिनांक 27 फरवरी, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2013/478.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्थाओं को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जगोटी	569/19-10-1981
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घोंसला (मु. राघवी)	570/19-10-1981
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., झार्डा	573/19-10-1981
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा खजूरिया	544/11-06-1981
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., डोंगरखेड़ा	593/25-10-1982

(1)	(2)	(3)
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चितावद (मु. राघवी)	590/25-10-1982
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मकला	618/28-07-1982
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., महू	699/31-01-1985
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., अरनिया बहादूर	710/04-09-1985
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई	722/05-11-1985
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बप्पैया	762/25-08-1987
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बैजनाथ	766/10-11-1987
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	820/30-11-1988

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया. सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं उज्जैन के द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्थाएं विगत कई वर्षो से निष्क्रिय हैं तथा अपने उद्देश्यों के अनुरुप कार्य नहीं कर रही हैं. उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारियों को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्थाओं का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., जगोटी	569/19-10-1981	श्री मुकेश जोशी सहकारिता विस्तार अधि. महिदपुर.
2.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., घोंसला (मु. राघवी)	570/19-10-1981	-''-
3.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., झार्डा	573/19-10-1981	-''-
4.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., खेड़ा खजूरिया	544/11-06-1981	-''-
5.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., डोंगरखेड़ा	593/25-10-1982	-''-
6.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., चितावद (मु. राघवी)	590/25-10-1982	-''-
7.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., मकला	618/28-07-1982	-''-
8.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., महू	699/31-01-1985	-''-
9.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., अरनिया बहादूर	710/04-09-1985	-''-
10.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., कढ़ाई	722/05-11-1985	-''-
11.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बप्पैया	762/25-08-1987	-''-
12.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., बैजनाथ	766/10-11-1987	-''-
13.	तिलहन सहकारी संस्था मर्या., ईटावा	820/30-11-1988	-''-

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2013 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(252-B)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2013-वैशाख 27, शके 1935

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 30 जनवरी, 2013

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बैतूल जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) **0.1 मि.मी. से 17.4 मि. मी. तक.**—तहसील भैसदेही, घोड़ाडोंगरी, चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर व बैतूल में फसल गन्ना की रोपाई एवं कटनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, पन्ना, देवास, मण्डला व खरगौन में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—जिला सिंगरौली में फसल तुअर, मसूर व भोपाल में गेहूँ,, चना, मसूर, गन्ना, पाला, तुषार से नुकसान व आंशिक क्षति एवं इन्दौर में चना, आलू पर शीतलहर से रबी फसल कहीं-कहीं प्रभावित हुई है.

5. **कटाई.**—जिला बैतूल में फसल गन्ना व बुरहानपुर भोपाल में तुअर की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया, राजगढ़, भोपाल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 30 जनवरी, 2013

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .		
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, तुअर.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) सुधरी हुई		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक. तिली, मूँगमोठ, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .	. .	
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		आलू .		
4. टीकमगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान		
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) जवा, चना अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ा मलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मसूर,मटर,बारी,आलू,प्याज अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर,	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		उड़द, मूँग, सोयाबीन, तिल, गेहूँ,		
4. पवई	. .		चना, जौ, राई-सरसों, अलसी कम.		
5. शाहनगर	. .		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू,	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		प्याज समान.		
4. सागर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर,चना, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) . .		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
***जिला सतना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) अरहर कम. गेहूँ, चना, अलसी, जौ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		मसूर, राई-सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, अलसी, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		गेहूँ, मसूर, मटर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) राई-सरसों, अलसी, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		मसूर अधिक. राहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, अलसी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		राई-सरसों अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर , गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. पाला से तुअर, मसूर को नुकसान हुआ है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, चना, गेहूँ, अधिक तुअर, मटर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, सरसों अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धड़का	. .				
8. शामगढ़	. .				
9. संजीत	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर,मटर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
***जिला रतलाम :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास : 1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नौद 6. खातेगांव	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, उड़द, मूँग, सोयाबीन अधिक. ज्वार, मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. राणापुर 5. झाबुआ	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, मक्का, गेहूँ अधिक. चना समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
जिला अलीराजपुर : 1. भामरा 2. जोवट 3. अलीराजपुर 4. कट्ठीवाड़ा 5. उदयगढ़ 6. सोण्डवा	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, गेहूँ अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, . .	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना अधिक. गेहूँ, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	मिलीमीटर	2. रबी फसल में चना, आलू पर शीत लहर से फसल प्रभावित हुई है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला प. निमाड़ : 1. बड़वाह 2. सनावद 3. महेश्वर 4. सेगांव 5. करही 6. खरगोन 7. गोगावां 8. कसरावद 9. मुल्ठान 10. भगवानपुरा 11. भीकनगांव 12. झिरन्या	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, तुअर, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. गन्ना, ज्वार, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		मक्का, मूँगफली, तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तिवड़ा, मटर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		राई-सरसों.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .		(2) . .		
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. तुअर, फसल की कटाई का कार्य चालू है.गेहूँ, चना,मसूर,गन्ना की फसलों पर पाला तुषार से आंशिक क्षति हुई है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, गन्ना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.गन्ने की रोपाई व तुअर एवं गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	8.2		4. (1) गेहूँ, चना, मटर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	15.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिंचोली	13.3				
5. बैतूल	13.2				
6. मुलताई	11.4				
7. आठनेर	8.3				
8. आमला	6.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मूंगमोठ, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		चना, मटर, मसूर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) गेहूँ, उड़द, मूंगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रवी फसलों की जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		जौ, मटर.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला नरसिंहपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, बटरा, मसूर, अलसी.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		मसूर, अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) सोयाबीन मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. मोहखेड़ा	. .				
11. हर्रई	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर,राई-सरसों अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. केवलारी	. .		मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी,	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		कम.		
4. बरघाट	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. धनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
***जिला बालाघाट :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला सतना, रतलाम, बड़वानी, रायसेन, नरसिंहपुर, बालाघाट से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(247)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.